

कार्यालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)

—: जिला न्यायालय ग्वालियर में अस्थायी रूप से एम0पी0 ऑनलाईन

कियोस्क सेंटर संचालन हेतु विज्ञप्ति :-

क्रमांक:

/ 2024


ग्वालियर, दिनांक : / / 2024

जिला न्यायालय ग्वालियर में अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये एम0पी0 ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन हेतु इच्छुक एम0पी0 ऑनलाईन कियोस्क संचालकों से निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2024 सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र, शर्त तथा नियत दरों की सूची नजारत अनुभाग जिला न्यायालय ग्वालियर से रूपये 200/- का आवेदन शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन पत्र, शर्त म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट **mphc.gov.in** तथा जिला न्यायालय ग्वालियर की वेबसाईट **gwalior.dcourts.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र भरकर, शर्त तथा नियत दरों की सूची पर हस्ताक्षर कर एवं उल्लेखित जमा राशि की एफ0डी0आर0 संलग्न कर बंद लिफाफे में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर में उक्त दिनांक तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रधान जिला न्यायाधीश
ग्वालियर म0प्र0



–: जिला न्यायालय, ग्वालियर में अस्थायी रूप से एम०पी० ऑनलाईन
कियोस्क सेंटर संचालन हेतु विज्ञाप्ति :–

1. आवेदक का नाम :
 2. आधार कार्ड / पेनकार्ड / वोटर आईडी० अन्य शासकीय दस्तावेज की प्रति एवं
नम्बर :
 3. पिता / पति का नाम :
 4. पता एवं मो०नं० :
 5. सुरक्षा निधि की जानकारी : एफ०डी०आर०नं० :
 6. कियोस्क पंजीयन क्रमांक :
 7. कियोस्क संचालन का वर्तमान पता :
 8. कियोस्क के वॉलेट से जुड़े बैंक संव्यवहार का खाता क्रमांक, नाम एवं जमा राशि
:
- (कियोस्क संचालन के संबंध में बैंक से किये गये ऑनलाईन संव्यवहार की पिछले
तीन वर्ष की छायाप्रति संलग्न है)

॥ घोषणा – पत्र ॥

मैं यह घोषणा
करता / करती हूं कि मैंने जिला न्यायालय ग्वालियर में अस्थायी रूप से एम०पी०
ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन करने के संबंध में सभी शर्तों का सूक्ष्मता से
अध्ययन कर लिया है तथा मेरे द्वारा उपरोक्त बिंदु क्रमांक 01 से 08 तक जो
जानकारी भरकर तथा संलग्न कर प्रस्तुत की है वह पूर्ण रूप से सत्य व सही है।

ग्वालियर दिनांक :

हस्ताक्षर :
नाम पता मो०नं० :

—: जिला न्यायालय ग्वालियर में अस्थायी रूप से एमोपी० ऑनलाईन
कियोस्क संचालन हेतु शर्तें :-

- (1) जिला न्यायालय परिसर ग्वालियर में मासिक किराये पर एम.पी. ऑनलाईन अधिकृत कियोस्क/पोर्टल को संचालित करने हेतु आवेदन करते समय रूपये 50,000/- {रूपये पचास हजार} की जमा राशि/सुरक्षा निधि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के नाम से एफ.डी.आर. के रूप में जमा करवानी होगी।
- (2) मासिक किराया (प्रिमियम राशि) की न्यूनतम दर राशि रूपये 5000/- प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अग्रिम देय होगी तथा लगातार तीन माह तक किराया जमा नहीं करने की दशा में सुरक्षानिधि जप्त कर वसूल की जावेगी एवं अनुबंध निरस्त किया जावेगा।
- (3) सफल आवेदनकर्ता के अलावा शेष आवेदनकर्ता से प्राप्त हुई जमा राशि/सुरक्षा निधि कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित आवेदनकर्ताओं को वापिस कर दी जावेगी।
- (4) एम.पी. ऑनलाईन अधिकृत कियोस्क/पोर्टल को संचालित करने हेतु स्थान के रूप में एक कमरा विन्डो सुविधा सहित उपलब्ध करवाया जायेगा एवं विद्युत आपूर्ति जिला न्यायालय द्वारा प्रदान की जावेगी।
- (5) सफल आवेदक को न्यायालय परिसर में एक वर्ष के लिये सेंटर के संचालन की अनुमति दी जायेगी। तत्पश्चात् समयावधि बढ़ाये जाने का निर्णय समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जावेगा।
- (6) आवेदक के पास कम से कम तीन वर्ष का कियोस्क संचालन का अनुभव होना आवश्यक है। आवेदन करते समय लायसेंस एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (7) सफल आवेदनकर्ता को कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोस्टेट मशीन, इंटरनेट सुविधा, वॉयोमैट्रिक डिवाईस तथा आवश्यक एवं उपयोगी फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी। इसके अतिरिक्त सफल आवेदनकर्ता को पी०ओ०ए० मशीन एवं क्यू०आर० कोड रखना अनिवार्य होगा। उक्त समस्त

उपकरणों के रख—रखाव एवं सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व सफल आवेदनकर्ता का ही रहेगा।

(8) सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो राशि रूपये के माध्यम से जिला न्यायालय में स्थापित एम०पी० ऑनलाईन सेंटर में जमा हो रही है उसे किसी भी स्थिति में न्यायालय परिसर में नहीं रखा जाकर प्रतिदिन बैंक में जमा करवाना आवश्यक होगा।

(9) आवेदनकर्ता को एम०पी० ऑनलाईन के माध्यम से बैंक में किये गये लेनदेन का स्टेंटमेंट एवं आवेदन दिनांक को वॉलेट में जमा राशि की जानकारी प्रदान करना होगा।

(10) सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सात दिवस के भीतर एम०पी० ऑनलाईन वॉलेट में कम से कम राशि 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रूपये जमा होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

(11) सफल आवेदनकर्ता को जिला न्यायालय में स्थापित होने वाले एम०पी० ऑनलाईन कियोस्क में कम से कम 02 कर्मचारियों की ड्यूटी न्यायालयीन कार्य दिवस या जब प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा आदेशित किया जाये, आवश्यक रूप से लगानी होगी, किसी भी स्थिति में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कियोस्क बंद नहीं रखा जायेगा।

(12) सफल आवेदनकर्ता को सात दिवस के भीतर एम०पी० ऑनलाईन कियोस्क जिला न्यायालय ग्वालियर में स्थापित कर प्रारंभ करना होगा।

(13) सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक को माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा तय की गई निर्धारित दर/पोर्टल फीस अनुसार सेवायें प्रदान करनी होगी। सफल आवेदनकर्ता को दरों की सूची एवं प्रदान की जाने वाली सेवायें बैनर/फ्लेक्स के माध्यम से निर्धारित कमरे के बाहर चस्पा की जाना अनिवार्य होगा।

(14) सफल आवेदनकर्ता द्वारा प्रत्येक कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 10:00 से सांय 06:00 बजे तक या प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार कियोस्क सेंटर को खोलकर आमजन को सेवा उपलब्ध कराना होगी।

(15) सफल आवेदक कियोस्क सेंटर में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

(16) प्राप्त आवेदन दिनांक 26.10.2024 को दोपहर 2:00 बजे प्रशासकीय समिति, जिला न्यायालय ग्वालियर के समक्ष खोले जायेंगे। सफल आवेदनकर्ता का चयन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर द्वारा किया जायेगा तथा उनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

(17) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को यह अधिकार होगा कि ऑनलाईन कियोस्क सेंटर हेतु दिये गये स्थान से संचालक को किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह के नोटिस पर कियोस्क सेंटर हटाने का आदेश दे सकते हैं।

(18) आवेदन के समय आवेदनकर्ता को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध या उनके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। सफल आवेदनकर्ता का पुलिस वैरिफिकेशन भी करवाया जावेगा।

(19) यदि सफल आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार की अनियमितता, तय दर से ज्यादा रूपये वसूलने, शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं अधिवक्तागण/पक्षकारगण से दुर्घटनाकार करते हुये पाया जाता है या ऐसा अन्य कोई कार्य जिससे कि शासन के नियमों का उल्लंघन हो, तो कियोस्क संचालक की जमा राशि में से रूपये 1,000/- प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगायी जावेगी। यदि 01 वर्ष में 30 बार पेनाल्टी लगती है तो आवेदनकर्ता का आवेदन स्वयंमेव निरस्त हो जावेगा एवं उसे 03 दिन में ऑनलाईन कियोस्क सेंटर को नियत स्थान से खाली करना होगा।

(20) यदि कियोस्क संचालन के कार्य में अनियमितता/लापरवाही पाई जाती है या उसके द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में उसका आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा, कियोस्क संचालन तत्काल बंद कर दिया जावेगा और उसे तत्काल या निर्धारित अवधि में स्थान रिक्त करना होगा। असफल रहने की

दशा में 2000/- रुपये प्रतिदिन की दर से जमा राशि में से किराया वसूल किया जावेगा।

(21) आवंटित स्थान रिक्त किये जाने पर यदि स्थान क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो सफल आवेदन कर्ता की जमा सुरक्षा निधि राशि का उपयोग स्थान के मरम्मत कार्य हेतु किया जावेगा। तत्पश्चात शेष राशि सफल आवेदन कर्ता को वापस की जावेगी। यदि मरम्मत संबंधी कार्य में अधिक व्यय आता है, तो शेष राशि का भुगतान सूचना दिये जाने पर 15 दिवस के भीतर सफल आवेदन कर्ता को करना होगा।

(22) सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक के विरुद्ध पेनाल्टी लगाने या शर्तों का उल्लंघन करने पर की जाने वाली कार्यवाही में अंतिम निर्णय प्रधान जिला न्यायाधीश ग्वालियर का होगा।


प्रधान जिला न्यायाधीश
ग्वालियर म0प्र0
23/09/2017

The Details of rates/Portal fees is as given below:-

| S.No. | Details | Proposed Portal Fee | Applicable Taxes | Total | Points as Per Letter |
|-------|--|--|------------------|--------|---|
| 1 | Enquiry of the cases status | Free | Free | Free | Handing Enquiries about case status, next date of hearing and other details |
| 2.1 | Apply for certified copy | 12.71 | 2.29 | 15.00 | Facilitate Online Application for certified copies and other such filings |
| 2.2 | Print Out Charges | | | | |
| a | Upto 5 pages | 12.71 | 2.29 | 15.00 | |
| b | Above 5 pages (per page cost to be charged) | 1.69 | 0.31 | 2.00 | |
| 3.1 | e-filling of petition with court fee upto Rs 1000 | 101.69 | 18.31 | 120.00 | Facilitate e-filing of Petition in the software |
| a | Entry in Portal | 33.90 | 6.10 | 40.00 | |
| b | Scanning Upto 35 pages | 33.90 | 6.10 | 40.00 | |
| c | Court Fee | 33.90 | 6.10 | 40.00 | |
| 3.2 | E-filling of petition with court fee Rs. 1001 to 5000 | 110.17 | 19.83 | 130.00 | |
| a | Entry in Portal | 33.90 | 6.10 | 40.00 | |
| b | Scanning Upto 35 Page | 33.90 | 6.10 | 40.00 | |
| c | Court Fee | 42.37 | 7.63 | 50.00 | |
| 3.3 | E-filling of petition with court fee above Rs 5000 | 161.02 | 28.98 | 190.00 | |
| a | Entry in Portal | 33.90 | 6.10 | 40.00 | |
| b | Scanning Upto 35 | | | | |
| 4 | To assist in online purchase of e-stamp papers/e-payments/e-court fees | As per point no. 3.1 (c), 3.2(c) and 3.3 (3) | | | For Payment of online court Fees |
| 5 | Publicize and assist in downloading the mobile app of e-Court for "android" and "ios" operating system | Free | | | |
| 6 | Facilitate in booking of e-Mulakat appointment for meeting relatives locked in Jail | Free, But for printing the per page cost to be given of Rs. 02 | | | |
| 7 | Handing queries about | Free | | | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | location of the particular court, its cause-list and whether the case is taken up for hearing or not | | |
| 8 | Guide people on how to avail free legal services from District Legal Service Authority, High Court Legal Service Committee and Supreme Court Legal Service Committee | Free | |
| 9 | Explain method of arranging and holding a video conference court hearing | Free | |
| 10 | Provide softcopy of judicial orders/judgments via email, whatsapp or any other available mode | Soft copy free, but for printing the pages the charge of Rs. 2 per page to be given | |
| 11 | Other queries and assistance in respect of facilities which are digitally available under e-court project | Free | |
| 12 | Fines/deposits | Rs. 10 (portal charges) per transaction/deposit | |